लोक प्रशासनों में लोक/सिविल सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्र: स्थिति तथा समस्याएँ; सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएँ तथा दुविधाएँ; नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतर्रात्मा, उत्तरदायित्व तथा नैतिक शासन; शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण; अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था (फंडिंग) में नैतिक मुद्दे; कारपोरेट शासन व्यवस्था।

Public/Civil service values and Ethics in Public administration: Status and problems; ethical concerns and dilemmas in government and private institutions; laws, rules, regulations and conscience as sources of ethical guidance; accountability and ethical governance; strengthening of ethical and moral values in governance; ethical issues in international relations and funding; corporate governance.

लोक प्रशासनों में लोक/सिविल सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्र: स्थिति तथा समस्याएँ
(Public/Civil service values and Ethics in Public administration: Status and problems)

सिविल सर्विस/शासन सेवा (Civil Services) : सामान्यत: सैन्य, न्यायिक और औद्योगिक क्षेत्र के अतिरिक्त (गैर-सैन्य, गैर-न्यायिक तथा गैर-औद्योगिक सरकारी कार्मिक) अन्य सरकारी सेवाएँ 'सिविल सर्विस' कहलाती है। ***सिविल सर्विस का अभिप्राय- सरकार के उन स्थायी और गैर-राजनीतिक अधिकारियों (प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों) से है जो न्यायांग अथवा सेना के सदस्य नहीं होते और जो एक बार सरकारी नौकरी में आने के बाद सामान्यत: अवकाश ग्रहण करने की आयु तक उस पर बने रहते हैं। सिविल सेवा के सदस्यों की नियुक्ति प्राय: प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर योग्यता को परखते हुए किया जाता है।***

आधुनिक लोकतंत्रात्मक राज्य उत्तरदायी मंत्रियों तथा विशेष योग्यता प्राप्त प्रशासनिक अधिकारियों के पारस्परिक सहयोग से संचालित होता है। मंत्री नीति निर्धारित करते हैं और शासन सेवा के सदस्य इस नीति को कार्यान्वित करते हैं। इनके कंधे पर नीतियों एवं विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन, विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध कराना, कानून और व्यवस्था, कर वसूली का भार आदि रहता है।

इनके सार्वजनिक स्वरूप को देखते हुए इन्हें सार्वजनिक सेवा *(Public Services)* भी कहा जाता है।

21 अप्रैल, 1947 को आईसीएस परीक्षार्थियों को संबोधित करते हुए सरदार वल्लभभाई पटेल ने कहा था कि आप भारतीय सेवा में अग्रणी हैं और इस सेवा का भविष्य, आपके द्वारा डाली गयी परम्पराओं एवं नींव पर आपके चरित्र पर, क्षमताओं एवं सेवा में आपकी गहन भावना *(Spirit)* या वफादारी पर निर्भर करता है। सन् 2006 से अब इस दिवस को 'सिविल सेवा दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

लोक प्रशासन का महत्व

किसी भी देश में लोक प्रशासन, सरकार व समाज के बीच मध्यस्थता का काम करता है। लोक प्रशासन के महत्व को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है-

1. **सरकार में कार्यों को संभव बनाना/नीतियों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन *(Implementation of the policies)*:** किसी भी देश में सरकार राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए अनेक नीतियों व कार्यक्रमों को बनाती है। इन कार्यक्रमों व नीतियों को वास्तविकता में बदलने का दायित्व लोक प्रशासन का होता है। अत: सरकार के कार्यों को संभव बनाने में लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है।
   - उदाहरण के लिए 1950 ई. के बाद पूरे देश में भूमि सुधार कार्यक्रम लाए गये थे, लेकिन, इन कानूनों का केवल कुछ ही राज्यों में सफल क्रियान्वयन हो पाया, जबकि अधिकतर राज्यों में इनका क्रियान्वयन उपर्युक्त ढंग से नहीं हो पाया, फलत: आज भी नक्सलवाद की समस्या बनी हुई है।

- यदि भारत के संदर्भ में देखे तो लोक प्रशासन के बिना, सरकार में निर्णय निर्धारण ही कठिन है, यदि भारत में कैबिनेट सचिव अथवा मुख्य सचिव अनुपस्थित हो तो क्रमशः भारत सरकार एवं राज्य सरकारों में निर्णय निर्धारण की प्रक्रिया कठिनाई पूर्ण हो जाती है, क्योंकि मंत्रिमंडल की बैठकों की पूरी तैयारी व कार्यवाही का अभिलेखन इन अधिकारियों के द्वारा ही किया जाता है।

2. **नीति निर्माण में सहयोगः** किसी भी देश में सरकार देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अनेक सामाजिक नीतियों एवं मुद्दों को प्राथमिकता देती है। नई सरकार इन चुनावी मुद्दों को वास्तविकता में बदलने की चेष्टा करती है जैसे- सार्वजनिक स्वास्थ, शिक्षा, बिजली, रोजगार इत्यादि, लेकिन इसके लिए गहन शोध व आँकड़ों की आवश्यकता होती है तथा साथ ही अन्य कई प्रकार की विशेषज्ञ जानकारी की आवश्यकता होती है जिसे उच्चस्तरीय सिविल सेवक उपलब्ध कराते हैं।

3. **पूरक लोक-नीति निर्माण/प्रत्यायोजित विधि निर्माणः** नीति निर्माण मूलतः संसद का दायित्व है, लेकिन संसद सदस्यों के पास आवश्यक समय का अभाव, तकनीकि व शैक्षणिक योग्यता का अभाव, संसद पर अत्यधिक कार्यबोझ इत्यादि कारणों से कई बार संसद कानूनों का पूर्णता में लागू करने के स्थान पर केवल ढाँचागत रूप में पारित करके छोड़ देती है। इन कानून के संबंध में सूक्ष्म विश्लेषण, कार्यरत प्रशासकों के द्वारा तैयार किये जाते है। इन सूक्ष्म विश्लेषणों को विनियमन प्रत्यायोजित कानून अथवा पूरक विधि निर्माण कहा जाता है।

4. **सतत् प्रशासनिक सुधारः** किसी भी देश में लोक प्रशासन समाज के लिए कार्य करता है। समाज में सामाजिक, आर्थिक, तकनीकि व राजनीतिक परिवर्तन आते हैं। परिणामस्वरूप समाज की आवश्यताएँ व अपेक्षाएं भी निरन्तर बदलती रहती है। अतः समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप लोक प्रशासन में भी सतत् बदलाव आवश्यक है। इस दृष्टि से कार्यरत प्रशासकों की भूमिका महत्वपूर्ण है, जैसे कि वर्तमान समय में कई सिविल सेवक संचार प्रोद्योगिकी एवं नवाचार का प्रयोग करके आम व्यक्ति के लिए प्रशासन को सुविधापूर्ण एवं उपयोगी बना रहें हैं।

5. **सरकार की छविः** किसी भी देश में सरकार की छवि, लोक प्रशासन से निर्धारित होती है क्योंकि आम व्यक्ति की अर्न्तक्रिया, लोक प्रशासन से ही होती हैं। यदि लोक प्रशासन जन सहभागिता पूर्ण, ईमानदार, पारदर्शी व जनोन्मुख है तो आम व्यक्ति के मन में न केवल लोक प्रशासन की बल्कि सरकार की भी सकारात्मक छवि बनती है, लेकिन दूसरी ओर यदि लोक प्रशासन भ्रष्ट, कमजोर, जन-विमुख तथा असहयोगपूर्ण है तो इससे न केवल आम व्यक्ति में लोक प्रशासन के प्रति आक्रोश उत्पन्न होता है, बल्कि सरकार की भी एक नकारात्मक छवि बनती है। अतः किसी भी देश में लोक प्रशासन का कार्यकरण, सरकार की छवि निर्धारित करता है।

6. **देश का सामाजिक-आर्थिक विकासः** किसी भी देश में सामाजिक-आर्थिक विकास की गति इस तथ्य से निर्धारित होती है कि विकास प्रक्रिया में सभी लोगों को भागीदारिता मिलें तथा कल्याण व विकास की परियोजनाओं का लाभ वास्तविक प्राप्तकर्ता को मिलें। इसमें लोकप्रशासन की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

संसद या विधानसभाएं समाज में विकास व समता के लिए कितना ही अच्छा कानून क्यों न बना लें, यदि कानूनों का क्रियान्वयन उपयुक्त ढंग से नहीं हो तो न तो कानून प्रभावी हो पाता है और न ही योजनाओं का लाभ लक्षित व्यक्ति या वर्ग तक पहुंचता है। योजनाओं का क्रियान्वयन लोक प्रशासन द्वारा किया जाता है और योजनाओं के लिए लाभार्थियों का चयन लोक प्रशासन द्वारा ही किया जाता है। देश के सभी कानूनों को समाज के समक्ष लोक प्रशासन ही रखता है, विशेषकर विकासशील देशों में, जहाँ व्यापक कानूनी निरक्षरता होती हैं, और आम व्यक्ति गरीबी, भुखमरी, बीमारी की चपेट में होता है, वहाँ पर आम व्यक्ति को कानून की समझ नहीं होती है तथा जैसा भी प्रशासक बताते है, उसी को कानून मान लिया जाता है। इस प्रकार आम व्यक्ति के लिए सरकार से अधिक महत्वपूर्ण लोक प्रशासन हो जाता है।

सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य *(Foundational Values for Civil Service)*

सिविल सेवा के आधारभूत मूल्य वे हैं, जो सिविल सेवा के आदर्शों एवं लक्ष्यों की ओर बढ़ने और उन्हें साकारित करने में सहायक होते हैं एवं मार्गनिर्देशक का काम करते हैं, जैसे- सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता आदि।

एक सफल सिविल सेवक बनने के लिए केवल संबंधित क्षमता और योग्यता का होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उसे सिविल

सेवा के बुनियादी मूल्यों से भी युक्त होना चाहिए। ये बुनियादी या आधारभूत मूल्य ही क्षमताओं और योग्यताओं को एक निश्चित दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने हेतु निर्देशित करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं।

उदाहरणस्वरूप- हो सकता है कि **मिस्टर 'A'** में सिविल सेवा में चयन होने की अभिक्षमता हो परंतु वह प्रशासनिक मूल्यों से रहित हो। ऐसी स्थिति में वह सिविल सेवा को अपनी आजीविका पूर्ति और स्वार्थ पूर्ति का साधन मात्र मान लेगा। दूसरी ओर **मिस्टर 'B'** में ईमानदारी, सहिष्णुता, करूणा आदि हो, परंतु उसमें सिविल सेवा में चयनित होने की वर्तमानकालीन योग्यता न हो। ऐसी स्थिति में ईमानदारी आदि के होते हुए भी सिविल सेवक के रूप में कर्तव्य-संपादन का स्वप्न साकारित नहीं कर पायेगा।

स्पष्ट है कि एक सिविल सेवक में अभिक्षमता के साथ-साथ उसमें आधारभूत प्रशासनिक मूल्यों का होना भी आवश्यक है, तभी वह उत्तरदायित्वबोध करते हुए पारदर्शितापूर्ण तरीके से अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी तरीके से संपन्न करेगा।

मूल्य, मानव सोच, व्यवहार एवं कार्य में मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। कर्मों के संपादन के क्रम में उत्पन्न होने वाले द्वंद्वों के निराकरण का आधार यही मानवीय मूल्य हैं। दूसरे शब्दों में ***मूल्य वे कसौटियाँ, व्यवहार के पैमाने या मानदण्ड हैं, जिनके आधार पर अच्छे-बुरे, वांछित-अवांछित, सही-गलत एवं करणीय-अकरणीय का निर्णय किया जाता है।*** इन्हीं मानवीय मूल्यों के अनुसार आचरण करना ही **सच्चरित्रता** है।

सिविल सेवा का सबसे बुनियादी मूल्य संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा एवं वचनबद्धता है।

CSPL: Committee on Standards in Public Life

यूनाइटेड किंगडम में 1994 में सार्वजनिक पद पर आसीन लोगों के नैतिक मानदंड के निर्धारण हेतु ***नोलन समिति*** द्वारा सुझाव दिये गये। इन सुझावों से यह पता चलता है कि एक लोक सेवक में किन-किन नैतिक गुणों की विद्यमानता का होना आवश्यक है।

सार्वजनिक जीवन के सात मूल तत्व (Seven Principles of Public Life (Nolan Committee [UK])						
Selflessness नि:स्वार्थनिष्ठता	**Integrity सत्यनिष्ठता**	**Objectivity वस्तुनिष्ठता**	**Accountability जवाबदेहिता**	**Openness खुलापन**	**Honesty ईमानदारी**	**Leadership नेतृत्व**
सार्वजनिक हित में निर्णय	कृतज्ञतावश, बाध्यतावश या दबाव के कारण अपने सरकारी कर्तव्यों से विमुख नहीं	सार्वजनिक नियुक्तियों, पुरस्कारों, ठेकों एवं लाभों की संस्तुति योग्यता के आधार पर	निर्णयों एवं कार्यों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह	जहाँ तक हो सके अपने निर्णय और कार्यों के संबंध में पारदर्शिता	द्वंद्व की स्थिति में व्यक्तिगत हित के स्थान पर सार्वजनिक हित को वरीयता	उपरोक्त मूलभूत तत्वों को बढ़ावा एवं समर्थन करते हुए स्वयं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना

1. **नि:स्वार्थनिष्ठता (Selflessness):** सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों (लोकपदाधिकारी) को केवल सार्वजनिक हित (लोकहित) को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। अपने परिवार और अपने मित्रों के लिए वित्तीय या अन्य भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए निर्णय नहीं लेना चाहिए। (निर्णय लेने का आधार समुचित हो)
2. **सत्यनिष्ठता (Integrity):** सार्वजनिक पद धारण करने वाले लोगों को चाहिए कि वे अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में बाहरी लोगों या संगठनों के वित्तीय या अन्य कृतज्ञताओं के प्रभाव में नहीं आएं।
3. **वस्तुनिष्ठता (Objectivity):** सार्वजनिक कार्यों को संपादित करते समय जैसे- सार्वजनिक नियुक्तियाँ, संविदाएं या लोगों को पुरस्कारों और लाभों के लिए संस्तुति करते समय सार्वजनिक पदाधिकारी को योग्यता के आधार पर चयन करना चाहिए।
4. **जवाबदेहिता (Accountability):** सार्वजनिक पद पर आसीन पदाधिकारियों को अपने निर्णय और कार्यों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और इस मामले में उपयुक्त जांच के लिए तैयार रहना चाहिए।
5. **खुलापन (Openness):** सरकारी पदाधिकारी को अपने सभी निर्णयों और कार्यवाहियों के संबंध में खुलापन होना चाहिए। उन्हें अपने निर्णयों के लिए कारणों का उल्लेख करना चाहिए और किसी सूचना को देने पर तभी रोक लगानी चाहिए जब व्यापक जन हित में ऐसा करना आवश्यक हो।

6. **ईमानदारी (Honesty):** सरकारी पदाधिकारी व्यक्तियों का यह कर्त्तव्य है कि वे अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के संदर्भ में अपने निजी हितों की घोषणा करें। कर्तव्यों एवं निजी हितों के बीच विरोध की स्थिति में उसे समाधान के वे कदम उठाने चाहिए जिससे सार्वजनिक हितों की रक्षा हो सके।

7. **नेतृत्व (Leadership):** सरकारी पदाधिकारियों को उपरोक्त मूलभूत तत्वों को बढ़ावा एवं समर्थन करते हुए स्वयं को एक आदर्श उदाहरण के रूप में विकसित करने का प्रयास करना चाहिए।

नोलन समिति के उपरोक्त सुझावों से यह स्पष्ट है कि शासन में नैतिकता तभी आयेगी जब लोक सेवकों में उपरोक्त मूल्य व्यवहार के स्तर पर अभिव्यक्त हों, उनके क्रियाकलाप इन मूल्यों से संचालित हों। केवल नियमों और कानूनों के होने मात्र से लोक सेवा के आदर्श को प्राप्त नहीं किया जा सकता बल्कि ऐसे मूल्यों का धारण भी आवश्यक है ताकि निर्णय एवं कार्य करते वक्त अधिकारी नैतिकता का आदर्श उपस्थित कर सकें।

प्रशासनिक नैतिकता: स्थिति, चुनौतियां एवं समाधान
(Administrative Ethics: Condition, Challenges, Solution)

किसी भी संगठन की कार्यकुशलता एवं उपयुक्तता कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता, नैतिक नियमों और सिद्धांतों के पालन पर निर्भर करती है। संगठन के कार्मिकों द्वारा नैतिक नियमों और सिद्धांतों का समुचित पालन, मूल्ययुक्त आचरण तथा तदनुसार दायित्वों का निर्वहन उन्हें व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अभिप्रेरित करता है। इन नियमों के पालन के अभाव में संगठन में व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था, नैतिकता के स्थान पर अनैतिकता, सदाचरण के स्थान पर दुराचरण, सार्वजनिक हित के स्थान पर व्यक्तिगत हित की सिद्धि की प्रवृत्ति पनपती है।

प्रशासनिक नैतिकता से अभिप्राय प्रशासनिक क्रियाकलापों एवं निर्णयों में नीतिगत या नैतिक आचरण से है। दूसरे शब्दों में प्रशासन में कार्यरत प्रत्येक पदाधिकारी तथा कर्मचारी को प्रशासनिक नैतिकता के दायरे में काम करना चाहिए ताकि वे निर्णय लेने एवं कार्य करने के दौरान पदेन शक्तियों और विवेकाधिकार का दुरूपयोग न कर सकें। प्रशासनिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों का दायित्व है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी, पूर्णनिष्ठा और सच्चरित्रता से करेंगे तथा पद पर रहते हुए वे ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जो प्रशासकीय नैतिकता के विरूद्ध हो। लोक सेवकों का सामाजिक जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। अत: लोक सेवकों से उच्च नैतिक आचरण या अनुकरणीय आचरण की अपेक्षा की जाती है, ताकि उनके प्रभाव से लोगों में नैतिक मूल्यों के प्रति सम्मान बढ़े और वो भी आगे बढ़कर जनहितकारी कार्यों में प्रशासन को सहयोग दे सकें।

प्रशासनिक नैतिकता और सच्चरित्रता राज्य और प्रशासन के आवश्यक धर्म है। अंग्रेजी शब्दकोष में सच्चरित्रता (Integrity) को नैतिक सिद्धांतों की दृढ़ता, निर्दोष चरित्र, स्पष्टता, ईमानदारी एवं निष्कपटता के पर्यायवाची के अर्थ में परिभाषित किया गया है। सच्चरित्रता 'इण्टेग्रिटी' का हिन्दी रूपांतरण है। सच्चरित्रता का विलोम भ्रष्टाचार है, जिसका अभिप्राय भ्रष्ट आचरण या व्यवहार से है।

सभी समाजों में नैतिक सिद्धांतों, आचरण के व्यवहारों, नैतिक-अनैतिक, उचित-अनुचित आदि शब्दों का बोध हमें नीतिशास्त्र से ही प्राप्त होता है। इन शब्दों को सम्यक् रूप में समझने के लिए नीतिशास्त्र के अर्थ, स्वरूप एवं महत्व तथा लोक प्रशासन से इनके संबंध के ज्ञान का होना आवश्यक है।

नीतिशास्त्र का अर्थ एवं स्वरूप एवं महत्व (Meaning, Nature and Importance of Ethics)

नीतिशास्त्र का अभिप्राय अध्ययन की उस शाखा से है जो हमें उचित-अनुचित, शुभ-अशुभ, अच्छा-बुरा, नैतिक-अनैतिक आदि शब्दों का ज्ञान कराता है तथा साथ ही इनके निर्धारण के विभिन्न मापदंडों की विवेचना कर समाज व प्रशासन को रास्ता दिखाता है कि कौन सा कर्म उचित है और कौन सा कर्म अनुचित है। सामान्यत: नीतिशास्त्र में सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मनुष्यों के आचरण या ऐच्छिक कर्मों पर निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से विचार किया जाता है तथा आदर्शों, मापदंडों, सिद्धांतों, परिस्थितियों, परिणामों एवं अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए में रखते हुए उन कर्मों के संदर्भ में उचित या अनुचित का निर्धारण किया जाता है।

लोक प्रशासन एवं नीतिशास्त्र का संबंध (Relation between Public Administration and Ethics)

लोक प्रशासन एवं नीतिशास्त्र दोनों परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं नीतिशास्त्र मानवीय आचरण एवं व्यवहार से संबंधित विज्ञान है। इसके अंतर्गत उचित-अनुचित, नैतिक-अनैतिक, अच्छे-बुरे आदि विषयों पर चर्चा की जाती है। यह सभी विषय नीतिशास्त्र के साथ-साथ लोक प्रशासन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लार्ड ऐक्टन के अनुसार- ''समस्या यह नहीं है कि सरकारें क्या करती है वरन् यह है कि क्या करना चाहिए।'' प्रशासन की सफलता-प्रशासकों के सदाचरण और नैतिक नियमों के पालन पर ही निर्भर करती है। नैतिकता से किया गया प्रत्येक प्रशासनिक कार्य ही लोक प्रशासन है। ऑडवे टीड के अनुसार- ''प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है।''

नीतिशास्त्र जहां लोक प्रशासन को नैतिकता के नियमों एवं आदर्शात्मक व्यवहार का ज्ञान कराता है वही राज्य के कानून नैतिकता को न केवल परिमार्जित करने का कार्य करते हैं बल्कि नैतिकता के नियमों एवं कार्य व्यवहारों को क्रियात्मक रूप प्रदान करते हैं। प्रशासन का उद्देश्य जन कल्याण (शिव) है तथा लोक प्रशासन उन उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए साध्य-साधन की पवित्रता आवश्यक है। साध्य जितना पवित्र हो, उतनी ही साधन की पवित्रता आवश्यक है। गांधी जी के अनुसार- ''मनुष्य के प्रत्येक क्षेत्र में साध्य और साधन की पवित्रता आवश्यक है।''

भारत में प्रशासनिक नैतिकता की वर्तमान स्थिति (Present Position of Administrative Ethics in India)

प्रशासनिक नैतिकता के अंतर्गत राजनीतिज्ञों और लोक सेवकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पद रहते हुए ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जो नैतिकता के विरूद्ध हो अर्थात् वे अपने कर्तव्यों का पालन पूर्णनिष्ठा, ईमानदारी व सच्चरित्रता से करेंगे। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् राजनेताओं और लोक सेवकों के नैतिकता के आचरण में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आजादी की लड़ाई की जंग ने इन नेताओं और लोक सेवकों के नैतिकता के मानदंडों को ही परिवर्तित कर दिया। राज्य को पथ प्रदर्शक राजनेता तथा उनकों आवश्यक सलाह देने वाले लोक सेवक अपने मार्ग भटक गए हैं। फलतः भारतीय प्रशासन में नैतिकता के पतन की झलक चारो तरफ देखी जा सकती है।

भारत में प्रशासनिक नैतिकता के पतन के कारण (Causes of Decline of Administrative Ethics in India)

मानव जीवन के विभिन्न पक्ष-आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक आदि से संबंधित कारण वर्तमान समय में प्रशासनिक नैतिकता के पतन के लिए उत्तरदायी है। संक्षेप में हम प्रमुख कारणों को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं-

1. **भौतिकवाद का प्रसारः** विज्ञान तथा तकनीकी विकास ने आज मानव को सुविधा भोगी बना दिया है। रहन-सहन, खान-पान, संचार, परिवहन की बढ़ती सुविधाओं ने जीवन को भौतिकवाद की और मोड़ दिया है तथा प्रत्येक मनुष्य इन सुविधाओं को पाना चाहता है। विभिन्न भौतिक वस्तुओं की उपस्थिति आज समाज में प्रतिष्ठा (Status) सूचक हो गई है। 'सादा जीवन उच्च विचार' की बजाय 'खाओं पीओं मौज उड़ाओं' की प्रवृत्ति पनप रही है। इससे नैतिक मूल्यों का तेज गति से ह्रास हुआ है। चूंकि कार्मिकों की सीमित आय उन्हें इन सुविधाओं से वंचित करती है किंतु उन्हें पाने की लालसा सरकारी कर्मचारियों को अनैतिक रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित करती है।
2. **उचित कार्य संस्कृति का अभावः** राजनीतिक दबाव एवं हस्तक्षेप, अच्छे कार्यों के संपादन पर अतिरिक्त प्रंशसा एवं लाभ नहीं, कर्त्तव्यों की उपेक्षा पर कोई हानि नहीं, पारदर्शिता एवं जवाबदेहीता की कमी, टीम वर्क का अभाव आदि के कारण उचित कार्य संस्कृति का न होना भी प्रशासनिक नैतिकता के पतन का कारण है।
3. **प्रशासन के बढ़ते हुए कार्यक्षेत्रः** स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् लोककल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उदय, आर्थिक मंदी, आर्थिक नियोजन एवं पंचायतीराज व्यवस्था के कारण प्रशासन के कार्यक्षेत्र में वृद्धि हुई है। कार्यक्षेत्र की इस वृद्धि ने प्रशासनिक अधिकारियों को अनेक स्वविवेक शक्तियां प्रदान की है। परमिट, लाईसेंस, सार्वजनिक वितरण कार्य तथा विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर करोड़ों रूपये लोक सेवकों के माध्यम से खर्च होने लगा। इन कार्यों ने लोक सेवकों को अनेक नैतिक नियमों के उल्लंघन करने तथा पद के दुरूपयोग के अवसर प्रदान किये हैं।

4. **नौकरशाही और लालफीताशाही की प्रवृत्ति:** प्रशासन की जटिल प्रक्रिया नौकरशाही और लालफीताशाही की प्रवृत्ति को जन्म देती है जिससे कार्य निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब होता है। इस प्रवृत्ति ने भारतीय प्रशासन में शीघ्र कार्य कराने के लिए घूस (Speed Money) को बढ़ावा दिया है। अधिकांश व्यक्ति प्रशासनिक कार्यों की विलम्बकारी प्रक्रिया के कारण यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उनका कार्य समय पर तभी संभव है जब वे इसके लिए घूस देंगे। अन्यथा उनका कार्य अटक सकता है।

4. **आर्थिक असमानता और बढ़ती हुई मंहगाई:** आर्थिक समस्याएं, बढ़ती हुई मंहगाई, कम वेतन एवं वेतनमान में विषमता आदि से लोक सेवक त्रस्त रहते है। सीमित आय से वे अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ रहने पर अनैतिक कार्यों की तरफ प्रेरित होते हैं।

5. **औद्योगिकरण की बढ़ती प्रवृत्ति:** औद्योगिकरण की बढ़ती प्रवृत्ति ने लोक सेवकों को अनैतिक रास्तों की राह दिखाई है। औद्योगिक एवं व्यापारिक वर्ग अपने व्यवसाय या उद्योगों के लिए नित्य नई सुविधा चाहने के एवज में अनेकानेक उपाय से लोक सेवकों को प्रभावित करने की इच्छाशक्ति और सामर्थ्य रखते हैं। ये वर्ग शासकीय कर्मचारियों को अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता प्रदान करने के लिए धन या अन्य लाभ देते हैं।

6. **सिविल सेवकों को सांविधानिक संरक्षण:** अनु. 311 के अंतर्गत सिविल सेवकों को, अपने पद से मनमाने ढंग से पदच्युत किये जाने के विरुद्ध निम्नलिखित सांविधानिक संरक्षण प्रदान किये गये हैं-

   (a) कोई भी लोकसेवक अपने नियुक्तकर्ता से नीचे के किसी भी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जायेगा या पद से हटाया नहीं जायेगा अनुच्छेद 311 (1),

   (b) कोई भी व्यक्ति तब तक पदच्युत या पद से नहीं हटाया या पंक्तिच्युत (पंक्ति से अवनत) नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे अपने विरूद्ध दोषारोपों से अवगत न करा दिया गया हो और उसके संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

   सिविल सेवकों को अत्यधिक संरक्षण उन्हें उत्तरदायित्व बोध से दूर ले जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि कर्त्तव्यों का पालन करें या ना करें, उनका कैरियर सुरक्षित है।

7. **नियंत्रण प्रणाली की खामियाँ:** प्रशासनिक कार्यों में नैतिकता समाहित करने तथा सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से दायित्वों के निर्वहन के लिए प्रशासन में नियंत्रण प्रणाली के रूप में अनेक संस्थाएं व कानून विद्यमान है। यथा आचार-संहिता, अनुशासनात्मक कार्यवाही, सर्तकता आयोग, केन्द्रीय अन्वेषण आयोग, मंत्रालय। विभाग स्तर पर सतर्कता समितियां तथा लोक सेवाओं के आचरण के विभिन्न नियम और कानून मुख्य है। लेकिन ये संस्थाएं, नियम एवं कानून कार्मिकों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पाते हैं क्योंकि नियंत्रण प्रणाली में कार्यरत लोक सेवक स्वयं इन बुराईयों से अछूते नहीं है, ऐसी स्थिति में उनसे निदान की उम्मीद करना नाइंसाफी है।

8. **औपनिवेशिक मानसिकता:** प्रशासनिक अधिकारियों में अभी भी हुक्म चलाने, अपने सीनियर, बॉस (Boss) या संगठन प्रमुख को खुश करने तथा उनका कृपापात्र बनने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। वे जनता की समस्याओं के समाधान, नवाचार एवं गुणवत्तापूर्ण सेवा के स्थान पर यथास्थिति बहाल रखने पर अधिक बल देते हैं। (जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे)

स्वतंत्रता प्राप्ति के 66 साल बाद तथा आर्थिक उदारीकरण के लगभग 24 साल बाद भी सरकारी तंत्र का रवैया पूरी तरह परिवर्तित नहीं हुआ है। सरकारी तंत्र अब भी जनता से 'माई-बाप' जैसा ही व्यवहार करता है। उदारीकरण के बावजूद भी उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र पर सरकार का शिकंजा है। उदारीकरण ने लाइसेंस, कोटा परमिट राज को पूरी तरह खत्म नहीं किया है, अभी भी देश में उद्यमी सरकार के सहयोग या आशीर्वाद के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। ***क्रोनी कैपिटलिज्म*** का विस्तार इसका सबूत है। अत: भ्रष्टाचार पर समुचित लगाम अभी भी नहीं लग सका है। आर्थिक विकास के साथ-साथ अर्थव्यवस्था का आकार-प्रकार बढ़ा है। साथ ही भ्रष्टाचार का आकार-प्रकार भी कई गुणा हो गया है। परन्तु सूचना तकनीक के विस्तार एवं प्रसार तथा अर्थव्यवस्था के विकास के कारण जनता की समझदारी बढ़ी है। अब जनता साफ-सुथरा और जवाबदेह प्रशासन चाहती है। इसलिए प्रत्येक सरकार बेहतर प्रशासन का वादा कर रही है और अपने जनहित कार्यों का भरपूर विज्ञापन करने का प्रयास कर रही है। जनता के जीवनस्तर में गुणात्मक सुधार तभी आ सकता है जब सरकारी तंत्र जनता के प्राथमिकता के आधार पर अपने उत्तरदायित्व का सम्यक् निर्वाहन करें।

प्रशासनिक नैतिकता की स्थापना के उपाय

प्रशासनिक नैतिकता की स्थापना के लिए केवल संगठन और उसकी कार्यप्रणाली में सुधार करना ही पर्याप्त नहीं बल्कि संगठन में कार्य करने वाले लोक सेवकों का सदाचरण भी आवश्यक है। भारतीय प्रशासनिक में भ्रष्टाचार और सच्चरित्रता का हनन मुख्य समस्या है जिन्हें संरचनात्मक उपायों के साथ-साथ हृदय परिवर्तन संबंधी विचारों से ही नियंत्रित किया जा सकता है। प्रशासनिक नैतिकता की स्थापना के लिए निम्न सुझाव/उपाय विचारणीय हैं-

1. **विद्यमान नियमों एवं कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन:** नैतिकता को बनाये रखने हेतु भारत में यद्यपि आचार-संहिता अनेक नियमों और कानूनों का प्रावधान है किंतु इन कानूनों का क्रियान्वयन ईमानदारी से नहीं होता है। अत: आवश्यकता इस बात की है कि न केवल इनका ईमानदारी से क्रियान्वयन किया जाए बल्कि इनके उल्लंघन करने वाले को उचित दंड दिया जाए जिससे अन्य कार्मिक वर्ग इनके उल्लंघन का दु:साहस नहीं कर सके।
2. **शिक्षा पद्धति और मीडिया की सकारात्मक भूमिका:** अनैतिकता को नियंत्रित करने तथा नैतिकता की पुन: स्थापना के लिए भारतीय शिक्षा पद्धति और मीडया का सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक हैं शिक्षा पद्धति में स्कूल शिक्षा से लेकर शिक्षा तक के पाठ्यक्रमों में संस्कार पैदा करने वाली नैतिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया जाना चाहिए। मीडिया के सकारात्मक रूख से नैतिकता की अवहेलना करने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ी जा सकती है तथा उनके खिलाफ जनमत तैयार किया जा सकता है।
3. **प्रशासनिक पारदर्शिता एवं जबावदेयता:** स्वच्छ छवि एवं जनसहभागिता के विकास के लिए पारदर्शिता एवं जवाबदेयता संबंधी प्रशासनिक उपायों को और अधिक सक्रिय बनाया जाना चाहिए। यद्यपि इस दिशा में सूचना का अधिकार तथा नागरिक अधिकार पत्र का प्रशासन में समावेश किया गया है किंतु उनका व्यावहारिक उपयोग चंद व्यक्तियों तक ही सीमित रहा है। इसके व्यापक उपयोग हेतु लोगों में जन जाग्रति एवं प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक है।
4. **चुनाव प्रक्रिया में सुधार:** भारत में चुनाव प्रक्रिया अत्यंत जटिल और खर्चीली है। बढ़ते चुनाव खर्चों ने न केवल राजनीतिज्ञों को पद भ्रष्ट किया है बल्कि लोक सेवकों को भी प्रभावित किया है। चुनाव खर्चों को सीमित किया जाए तथा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया सुधार की दिशा में यूरोपीय देशों में प्रचलित रिकॉल व्यवस्था (समय पूर्व वापसी) को भारत में लागू किया जा सकता है।
5. **लालफीताशाही एवं नौकरशाही की प्रवृत्तियों पर अंकुश:** भारतीय प्रशासन में विलम्ब एक प्रमुख समस्या है जिसका भ्रष्टाचार से गहरा संबंध है। विलम्ब से किया गया कोई भी कार्य न्याय से वंचित करने के समान है। अत: प्रशासनिक कार्य प्रक्रिया नियमों को अधिक सरल और लचीला बनाया जाना चाहिए जिससे लालफीताशाही और नौकरशाही की प्रवृत्ति के कारण कार्यों के संपादन में अनावश्यक विलम्ब न हो।
6. **संरचनात्मक उपाय:** भारत में भ्रष्टाचार निवारण एवं जन अभाव अभियोग निराकरण हेतु गठित संस्थाओं यथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केन्द्रीय सर्तकता आयोग, लोक शिकायत निदेशालय, मंत्रालय विभागीय सतर्कता समितियों आदि को अधिक प्रभावी और शक्ति संपन्न बनाया जाना चाहिए। इन संस्थाओं में अति योग्य और निष्ठावान लोक सेवकों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

   यहाँ उल्लेखनीय है कि भारत में स्वीडन के ओम्बुड्समैन के सदृश्य संस्था की नितांत आवश्यकता है यद्यपि इस संस्था (लोकपाल) के गठन के लिए 1968 से लगातार प्रयास जारी है लेकिन यह संस्था केन्द्रीय स्तर पर अभी तक स्थापित नहीं हो सकी, जिसकी शीघ्रताशीघ्र स्थापना की जानी चाहिए तथा लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद के सभी सदस्यों एवं केन्द्रीय स्तर के सभी उच्च लोक सेवकों को शामिल किया जाना चाहिए।
7. **हृदय परिवर्तन:** भारतीय प्रशासन में विद्यमान इस सर्वव्यापी समस्या के समाधान का श्रेष्ठ उपाय जनमानस का हृदय परिवर्तन है। इस समस्या से न केवल लोक सेवक ग्रसित है बल्कि समाज का प्रत्येक नागरिक इससे प्रभावित या ग्रसित है। हमें प्रशासन के साथ-साथ समाज में इस धारण का विकास करना चाहिए कि हमारा वास्तविक सुख, सुविधाजनक भौतिक जीवन व्यतीत करने में नहीं बल्कि सीमित आवश्यकताओं से संतोषमय जीवन व ईमानदारी से कर्तव्य पालन में है। 'संतोषी सदा सुखी' तथा 'सादा जीवन उच्च विचार' की कहावत से हमें चरितार्थ करना होगा।

8. **अन्य उपाय:** नैतिकता की स्थापना हेतु अन्य उपायों में देशभक्ति की भावना का विकास, राजनीतिक निष्पक्षता और तटस्थता, स्वयं सेवी संस्थाओं, सिटीजन चार्टर और प्रेस की सक्रियता तथा आर्थिक विषमताओं को दूर करने संबंधी सुझाव प्रमुख है।

शासन में नैतिकता को लाने हेतु द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने चौथे प्रतिवेदन 'शासन में नैतिकता' (Ethics in Governance) में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं-

1. चुनावों में धन के अनुचित एवं अनावश्यक फंडिंग को रोकने हेतु अंशत: चुनाव व्यय सरकार वहन करें।
2. गंभीर एवं जघन्य अपराधों के आरापों का सामना कर रहे व्यक्तियों को निर्वाचन हेतु घटक दल कानून में संशोधन होना चाहिए।
3. गठबन्धन की नैतिकता बनाए रखने हेतु यह प्रावधान हो कि यदि गठबन्धन का कोई घटक दल बीच में दूसरे दल में सम्मिलित होता है तो उस दल या दलों को नया जनादेश लेना चाहिए।
4. संसद के प्रत्येक सदन द्वारा नैतिक आयुक्त (Ethics Commissioner) पद का गठन किया जाना चाहिए। यह अध्यक्ष या उप सभापति के अंतर्गत कार्य करते हुए नैतिकता पर समिति को कार्य निष्पादन में सहायक करेगा।
5. राज्य विधानमण्डलों को भी नैतिक संहिताअपना लेनी चाहिए तथा नैतिक आयुक्त पद गठित करना चाहिए।
6. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत निम्नांकित को अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
   - किसी व्यक्ति का अनुचित या उसे हानि पहुँचाकर अधिकार का दुरूपयोग करना; न्याय में बाधा; तथा
   - सार्वजनिक धन का अपव्यय।
7. भ्रष्टाचार मामलों की सुनवाई में तेजी लाने एवं एक समय सीमा निश्चित करने हेतु कानून में संशोधन किया जाए।
8. विधि आयोग द्वारा दिए गए सुझावनुसार भ्रष्ट साधनों द्वारा गैर कानूनी ढंग से अर्जित संपत्ति को जब्त किया जाना चाहिए।
9. संविधान में संशोधन करते हुए राष्ट्रीय लोकायुक्त की स्थापना की जाए। इसका कार्यक्षेत्र एवं भूमिका संविधान में वर्णित की जाए, जबकि इसका गठन, नियुक्ति की विधि एवं अन्य बातें संसद के एक कानून में दी जानी चाहिए।
10. ईमानदार लोक सेवकों को संरक्षण मिलना चाहिए।
11. विकासपरक योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण कराने हेतु दिशा-निर्देश तैयार होने चाहिए।

सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएँ तथा दुविधाएँ
(Ethical concerns and dilemmas in government and private institutions)

प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक आर्डवे टीड के अनुसार- "प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है।" उपरोक्त कथन प्रशासन में नैतिकता के महत्ता एवं आवश्यकता को रेखांकित करता है। यहां नैतिकता के तीन मुख्य आयाम है-

1. एक कार्य को सही गलत क्या बनाता है?
2. हमें किन सिद्धांतों के आत्मसात करना चाहिए।
3. नैतिक प्रशंसा अथवा निंदा को क्या न्याय संगत बनाता है?

यदि इनके आलोक में भारतीय प्रशासन का अवलोकन किया जाय तो हम पाते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों ही क्षेत्रों में प्रशासन तीव्र नैतिक गिरावट की दशा में दिखाई देता है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) के द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौतियों के दौर में इस नैतिक गिरावट की दर और भी तीव्र हुई है। हालांकि इस दौर में बढ़ते उपभोक्तावाद, बदलते जीवन दर्शन, ईश्वर के प्रति भय में कमी, शासन के प्रति भय में कमी, प्रदर्शन प्रभाव, भ्रष्टाचार के सांस्कृतिकरण आदि के प्रभाव में सामाजिक नैतिकता में भी तीव्र गिरावट आयी है। इससे संपूर्ण प्रशासनिक परिवेश में मूल्यहीनता, नैतिक गिरावट तथा भ्रष्टाचार का विकास हुआ है।

उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ने भारत में सरकार की संरचना एवं प्रक्रिया को प्रभावित किया। सरकार ने अर्थव्यवस्था को खुली और उदार बनाने के लिए नियमों-विनियमों को शिथिल बनाया, 'लाइसेंस-परमिट-कोटा-इंस्पेक्टर राज' के समापन की घोषणा की। लोक सेवओं की गुणवत्ता तथा मात्रा बढ़ाने हेतु तथा अपनी संसाधनात्मक सीमाओं के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र एवं विदेशी कंपनियों के प्रवेश के लिए मार्ग खोल दिया। इसका एक परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय संसाधन एवं उत्पादक परिसंपत्तियां

जैसे- खान, सरकारी कंपनियां, भूमि एवं जल संसाधन तथा स्पेक्ट्रम इत्यादि निजी स्वामियों के हाथों बेच दिए गए किंतु बिडम्बना यह है कि इनका मूल्य प्राय: बाजार मूल्य से कम रखा गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने अपने प्रतिवेदन में ऐसे कई अनियमितताओं को उजागर किया है जिनमें 2-जी स्पेक्ट्रम मामला, खान आवंटन मामला, के जी बेसिन मामला आदि प्रमुख है। इससे हमारे राजकोष को लाखों करोड़ रूपयों की हानि उठानी पड़ी।

प्रशासन में नैतिकता के क्षरण से भ्रष्टाचार के कई रूप उजागर होते हैं जिससे प्रशासन की गुणवत्ता में गिरावट आती है। साथ ही संसाधनों का अपव्यय, लोकधन का निजी स्वार्थों के लिए प्रयोग, प्रशासनिक विवेकाधिकारों का दुरूपयोग, कर्तव्य की अवहेलना, राजनीति-प्रशासन गठजोड़ संवेदनशीलता एवं कर्तव्यनिष्ठा में गिरावट आदि जैसे नकरात्मक तत्व प्रशासन की गुणवत्ता का गिराने का कार्य कर रहे हैं। प्रशासनिक नैतिकता में यह क्षरण सुशासन के मार्ग में एक बड़ी बाधा एवं चुनौती के रूप में उपस्थित है। यह हमारे शासन प्रशासन की गुणवत्ता के गिराकर राष्ट्रीय नवनिर्माण एवं साम्यपूर्ण सर्व समावेशी विकास के लक्ष्य से हमें दूर रखा है।

भारतीय प्रशासन के क्षेत्र में व्याप्त मूल्यहीनता एवं नैतिक गिरावट की समस्या से निजी प्रशासन भी मुक्त नहीं है। उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की प्रक्रिया आरंभ होने के पश्चात यह क्षरण और भी तीव्र हुआ। 'राज्य के पश्चगमन' (Roll Back of State) के आरंभ होने के पीछे तर्क यह दिया गया था कि जिन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र अधिक सक्षमता एवं प्रभावशीलता से कार्य कर सकें वे उन्हें सौंप दिए जाय। इसके परिणामस्वरूप उदारीकरण एवं निजीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुयी। इससे परम्परागत रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सेवाएं निजी क्षेत्र में आ गये। इसका परिणाम यह हुआ कि-

1. लोकहित के बजाय निजी हित को सर्वोच्च वरीयता दी गयी तथा लाभ कमाने के नैतिक-अनैतिक तरीकों में भेद समाप्त हुआ।

   उदाहरण: लोक निजी भागीदारों के अंतर्गत आज बड़े पैमाने पर सड़कों एवं पुलों का निर्माण हो रहा है, जो एक सार्वजनिक उद्देश्य है किंतु निजी कंपनियां इनसे टोल के रूप में जो धन उगाही करती है वह प्राय: लागत की तुलना में बहुत अधिक होता है। जिसका बोझ देश की जनता को उठाना पड़ता है।

   जैसे- बांग्लादेशी शरणार्थी असम के कई जिलों में बसाया और उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया।

2. निजी क्षेत्र की कंपनियां लाइसेंस, ठेके, पट्टे (लीज) परमिट इत्यादि प्राप्त करने के लिए भ्रष्ट माध्यों का प्रयोग करने से भी नहीं हिचकतीं।

   उदाहरण: कोयला खान आवंटन मामला।

3. निजी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेशकों का धन निवेशित हो रहा है किंतु कई बार ऐसा देखा जाता है कि कंपनियाँ निवेशकों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आकड़ों में छेड़छाड़कर अकर्षक बैलेंसशीट प्रस्तुत कराती हैं। जिससे अंतत: निवेशकों को हानि उठाना पड़ता है।

   उदाहरण: संयुक्त राज्य अमेरिका की बिजली कंपनी एनरॉन तथा भारत में सत्यम् कम्प्यूटर्स ने इसी प्रकार की धोखाधड़ी की।

4. लोक निजी भागीदारी का एक नकारात्मक पक्ष 'लक्ष्य विस्थापन' के रूप में उपस्थित होता है।

   उदाहरण: सरकार स्कूल/अस्पताल आदि के निर्माण के लिए सस्ती दरों पर जमीन उपलब्ध कराती है क्योंकि इनके कार्यों का एक सैद्धांतिक पक्ष लोकहित है किंतु व्यवहार में प्राय: यह देखा जाता है निजी स्कूल/ कालेज, अस्पताल इत्यादि सेवा भोगियों से ऊंची फीस तथा डोनेशन इत्यादि चार्ज करते हैं।

   DPS का केस - कमजोर वर्गों के छात्रों को आरक्षण नहीं।

   SC का निर्देश - आरक्षण देना पड़ेगा क्योंकि स्कूल बनाने के सरकारी सस्ती भूमि मिली थी।

5. कार्पोरेट जगत द्वारा अपने उत्पादों को बेचने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा के इस युग में 'आक्रामक मार्केटिंग' (Aggerssive Marketing) का प्रयोग कर रहे हैं जिसके तहत कई बार विज्ञापनों के माध्यम से भावनात्मक दोहन, गुणवत्ता को अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करना, नारी शरीर का अभद्र प्रदर्शन किया जाता है।

6. निजी क्षेत्र का अपने कार्मिकों निवेशकों एवं समाज के प्रति कुछ दायित्व तब भी उभरता है जब उनके अपकृत्यों से उनके वाजिब हितों की हानि होती है किंतु प्राय: यह देखा जाता है कि वे या तो अपने दायित्वों का पर्याप्त निर्वहन नहीं अथवा उससे मुकरने की चालबाजी करते हैं अथवा न्यायिक प्रणाली में व्याप्त खामियों का दुरूपयोग करते हैं।

उदाहरण: भोपाल गैस त्रासदी के लगभग तीस वर्ष बीतने के बाद भी पीड़ितों को यूनियन कार्बाइड द्वारा उचित मुआवजा नहीं दिया गया।

सहारा इंडिया कंपनी द्वारा सेबी एवं SC के निर्देश के बावजूद छोटे निवेशकों अरबों रूपये वापस न करके क्रियात्मक खामियों का लाभ उठाकर टालमटोल करना।

7. निजी क्षेत्र में नैतिक मूल्यों के क्षरण का एक बड़ा उदाहरण खाद्य पदार्थों में मिलावट के रूप में देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए यूरिया जैसे अखाद्य पदार्थ से दूध का बनाया जाना। मिलावट खोरी की इस गंभीर समस्या को संज्ञान में लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया है कि भारतीय दंड संहिता (IPC) में उपयुक्त संशोधन कर मिलावट खोरी के लिए मृत्युदंड का प्रावधान क्यों न कर दिया जाए?

कुछ मूलभूत नैतिक मुद्दे (Ethical Concerns and Dilemmas in Private Institutions/Sector)

वैश्वीकरण के इस युग में जहां अपने उत्पादों एवं सेवाओं को बेचने तथा अधिकाधिक लाभ कमाने के लिए गलाकाट प्रतियोगिता चल रही है, निजी संस्थाओं में कार्यरत व्यक्तियों के समक्ष जटिल नैतिक मुद्दे खड़े होते रहते है। मूलभूत नैतिक मुद्दे जिनका सामना निजी संस्थानों को प्रायः करना पड़ता है वे हैं-

1. सत्यनिष्ठा का मुद्दा
2. विश्वास का मुद्दा
3. निर्णयन का मुद्दा
4. व्यावसायिक सक्षमता
5. नियम-विनियम अनुपालन का मुद्दा
6. निजी लाभ बनाम सामाजिक हित का मुद्दा

1. **सत्यनिष्ठा का मुद्दा:** निजी क्षेत्र में सत्यनिष्ठा का तात्पर्य व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के समय पूरी ईमानदारी बरतने तथा उपभोक्ताओं के साथ की गयी वचनबद्धताओं को पूरा करने व उनके साथ उचित व्यवहार (Fair Treatment) से है किंतु कई बार ऐसा देखा जाता है कि कंपनियों के सेल्समैन अपने उत्पाद या सेवा को बेचने के लिए उपभोक्ताओं से उनकी सेवा सुविधा गुणवत्ता के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर दावे किए जाते हैं। फलतः वस्तु या सेवा खरीदने के बाद वह ठगा गया सा महसूस करता है। उदाहरण के लिए बीमा करने वाली कंपनियों के सेल्समैन अपनी पॉलिसी बेचने के लिए दावे तो बढ़ा-चढ़कर करते हैं किंतु उनसे जुड़े संभावित खतरों (Market Risk) इत्यादि के बारे में उपभोक्ता को पर्याप्त जानकारी नहीं देते अथवा छिपाते हैं।
2. **विश्वास का मुद्दा:** कंपनी और उपभोक्ता के मध्य विकास (Trust) किसी भी कंपनी की सफलता के लिए मुख्य निर्धारक तत्व माना जाता है। इस विश्वास को पैदा करने के लिए कंपनी को उच्चस्तरीय सत्यनिष्ठा के प्रदर्शन के साथ अपने व्यवसाय का संचालन पूर्ण ईमानदारी एवं वचनबद्धता के साथ करना होता है। किंतु यदि कंपनी द्वारा क्षणिक स्वार्थों से प्रेरित होकर कुछ ऐस कदम उठाये जाते हैं। जिससे उपभोक्ता ठगा गया महसूस करता है तो उससे दोनों के मध्य विश्वास भंग (Breach of trust) होता है। उदाहरण के लिए सहारा इंडिया द्वारा अपने उपभोक्ताओं का 25000 करोड़ रूपये ऐंठ लेने का मामला सेबी द्वारा उजागर किया गया Spot Fixing /Match Fixing का मामला भी विश्वास भंग का मामला है।
3. **निर्णयन का मुद्दा:** व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के दौरान विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने होते है। यदि निर्णयकर्ता निर्णयन करते समय उपभोक्ताओं के हितों उनके प्रति कंपनी की पूर्ण वचनबद्धताओं, कंपनी के कार्मियों के हितों तथा मूल्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेता है तो ऐसे निर्णय को नैतिक निर्णय कहा जाता है किंतु यदि निर्णयकर्ता उपरोक्ता की अवहेलना कर एकपक्षीय निर्णय लेता है अथवा निहित स्वार्थों वश संबद्ध हितों को कंपनी के हित या स्वहित के अधीनस्थ मान लेता है तो नैतिकता का प्रश्न खड़ा होता है।
4. **व्यावसायिक सक्षमता का मुद्दा:** व्यावसायिक सक्षमता (Professional Compete) का तात्पर्य उन क्षमताओं, दक्षताओं व योग्यताओं से है जो किसी खास कार्य को करने या दायित्व को पूरा करने के लिए व्यक्ति में होनी आवश्यक ही नहीं है वरन् उनका वह पूर्ण उपयोग भी करे तथा कार्य की गुणवत्ता मान्य स्तर तक बनाए रखे।

   कोई व्यक्ति व्यावसायिक रूप से बहुत सक्षम (Competent) होते हुए भी अनैतिक आचरण से लिप्त हो सकता है, हो सकता है ऐसे व्यक्ति ने सफलता की सीढ़ियां बड़ी तेजी से चढ़ी हो। (किंतु ऐसा व्यक्ति दीर्घकालिक से अपने अनैतिक कृत्य से स्वयं को तथा समाज को क्षति पहुंचाता है।) दीर्घकालिक दृष्टि से अनैतिक चरित समाज के लिए घातक होता है। समाज की नींव नैतिक मूल्यों से निर्मित होती है। एक बारे इन नैतिक मूल्यों का क्षरण आरंभ हो जाय तो समाज स्वविनाश की ओर अग्रसर हो

जाता है। सत्यम कम्प्यूटर्स कंपनी के संस्थापक रामालिंगम राजू का उत्थान और पतन इसका अच्छा उदाहरण है। उन्होंने अपनी व्यावसायिक दक्षता से कंपनी को भारत की अग्रणी कंपनियों में से एक बना दिया था। किंतु लालच में उन्होंन तथा उनके सहयोगियों ने कंपनी के झूठे बैलेंस सीट बनवाये, इनसाइडर ट्रेडिंग किया। फलत: अपना, कंपनी का निवेशकों का और अंतत: देश का अहित किया।

5. **नियम-विनियम अनुपालन का मुद्दा:** निजी संस्थाओं से उम्मीद की जाती है कि पवे पर्यावरणीय कानून, श्रम कानूनों के साथ-साथ कराधान संबंधी कानूनों का बखूबी फलन करेंगे। परंतु कई बार ऐसा देखा जाता है कि कंपनियां अपने लागत को कम करने तथा लाभ को बढ़ाने के लिए इनका (उल्लंघन) बाईपास करने अथवा प्रशासन के साथ साठ-गांठ कर इनकी अवहेलना करने का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए गंगा नदी के किनारे स्थित कई कारखाने लंबे समय से गैर-उपचारित अपशिष्ट गंगा में प्रवाहित कर रहे हैं जबकि पर्यावरणीय नियमों के तहत गैर-उपचारित मलवे का नदी में प्रवाह दंडनीय है।

   इस प्रकार बहुर्राष्ट्रीय निगम (MNCs) तृतीय विश्व के देशों लाभ पद ठेके (Lucrative Contracts) पाने के लिए प्रशासनिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं।

6. **निजी लाभ बनाम सामाजिक हित का मुद्दा:** निजी क्षेत्र के संगठनों की स्थापना के पीछे प्राय: सबसे बड़ा प्रेरक निजी लाभ होता है। अत: उनके लिए यह स्वाभाविक है कि अपने व्यवसाय प्रबंधन में वे लाभ कमाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। किंतु नैतिकता का पक्ष यह प्रश्न उठाता है कि वे अपने लाभार्जन के लिए जिस भौतिक अथवा मानवीय पूंजी (Phical or Human Capital) का प्रयोग करते हैं उस पर समाज का भी कुछ हक बनता है। अत: निजी क्षेत्र का दायित्व बनाता है कि वे अपने सामाजिक दायित्वों का भी अनुपालन करें। इसी के आधार पर निगमित क्षेत्र के सामाजिक दायित्व (Corporate Sector Social Responsibility) की अवधारणा का विकास हुआ। चूंकि निगमित क्षेत्र के सभी संगठन स्वेच्छा से इस दायित्व की पूर्ति नहीं कर रहे थे। अत: भारत सरकार कंपनी अधिनियम-2011 (Companies Act-2011) में यह प्रावधान किया है कि निगमित क्षेत्र अपने शुद्ध आय का 2% सीएसआर पर खर्च करेगा। हालांकि आईबीएम औरटाटा जैसी कंपनियां स्वेच्छा से इस क्षेत्र में सराहनीय कार्यपहले से कर रही हैं।

कानून का मौलिक कार्य व्यक्ति के प्राकृतिक उद्वेगों और मूल प्रवृत्तियों के प्रभावों को कम करना अथवा एक समाजीकृत व्यवहार को प्रोत्साहन देना है। कानून का कार्य व्यक्तियों के बीच इस प्रकार सहयोग पैदा करना है जिससे वे सामान्य लक्ष्यों को पाने के लिए अपने स्वयं के स्वार्थों का बलिदान कर सकें।

रास्की पाउण्ड ने कानून द्वारा सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में उसकी भूमिका को तीन भागों में बांटा है-

1. शक्ति के व्यवस्थित प्रयोग द्वारा सामाजिक संबंधों में समायोजन स्थापित करना एवं आचरणों में व्यवस्था बनाए रखना।
2. समाज के विवादों को सुलझाने के लिए समाज द्वारा स्वीकृत आदर्शों पर आधारित सिद्धांतों को लागू करना।
3. प्रशासनिक ढांचे को दृढ़ता प्रदान करना।

कानून समाज में दो प्रकार से नियंत्रण रखता है- सकारात्मक एवं नकारात्मक तरीके से। नकारात्मक पद्धति में कानून कुछ कार्यों को करने के लिए माना करता है और ऐसा न करने पर दंड की व्यवस्था करता है। सकारात्मक पद्धति में कुछ कार्यों को करने का निर्देश दिया जाता है, तथा उसके लिए पुरस्कार, पदक, प्रमाण पत्र आदि की व्यवस्था की जाती है।

नैतिक मार्गदर्शन के रूप में कानून की भूमिका की विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत हम इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं-

1. **व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण:** कानून वैयक्तिक एवं सामूहिक दोनों ही स्तरों पर व्यक्ति का नियंत्रण करता है। व्यक्ति के व्यवहार पर अंकुश रखने के लिए अनेक नियम और अधिनियम राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। ताकि वह अपने स्वार्थ के कारण अन्य लोगों के हितों को चोट नहीं पहुचाए एवं समाज ममें सद्व्यवहार करे। सड़क पर चलने, बस, रेल, वायुयान एवं अन्य वाहनों में यात्रा करने, शिक्षा संस्था में प्रवेश लेने, सामान एवं संपत्ति बेचने एवं खरीदने आदि सभी के संबंध में व्यक्ति को कानूनों का पालन करना होता है। कानून व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार भी प्रदान करता है। इन अधिकारों का हनन करने वाले व्यक्ति को कानून द्वारा दंड देने की भी व्यवस्था होती है।

2. **पारिवारिक जीवन पर नियंत्रण:** परिवार से संबंधित भी अनेक कानून पाए जाते हैं जो पारिवारिक जीवन को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए विवाह, संपत्ति, उत्तराधिकार, गोद लेने से संबंधित कानून आदि पारिवारिक जीवन को व्यवस्थित एवं नियंत्रित

करने के लिए ही बनाए गए हैं। भारत में भी परिवार एवं विवाह से संबंधित अनेक अधिनियम बनाए गए हैं जिनका उद्देश्य सदस्यों पर नियंत्रण रखना ही है। इन अधिनियमों में से कुछ अधिनियम जैसे हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929, विधवा पुनर्निवाह अधिनियम 1856, हिन्दू स्त्री संपत्ति अधिकार अधिनियम 1956, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 आदि है।

3. **सामाजिक जीवन पर नियंत्रण:** कानूनों का कार्य सामाजिक जीवन को नियंत्रित करना भी है। इस संदर्भ में भारत में बने कई कानूनों का उल्लेख किया जा सकता है। 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1929 में सती प्रथा निषेध कानून और 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण कानून पारित कर भारत सरकार ने सामाजिक जीवन को नियंत्रित ही किया है। इनका उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में पायी जाने वाली छूआछूत मिटाना, अमानुषिक अत्याचार को रोकना एवं व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है। सभा, उत्सव, मेले एवं सार्वजनिक स्थानों एवं अवसरों पर हम किस प्रकार का आचरण करेंगे, इस संदर्भ में कानून हमारा मार्गदर्शन करते हैं एवं हम पर नियंत्रण रखते हैं।

4. **आर्थिक जीवन पर नियंत्रण:** कानून हमारे आर्थिक जीवन, आर्थिक संस्थाओं एवं कार्यकलापों को भी नियंत्रित करते हैं। बैंक में लेन-देन, संपत्ति बेचने-खरीदने, व्यवसाय करने, उद्योग प्रारंभ करने, सेवा कार्य करने, पेंशन, बीमा आदि सभी से संबंधित नियम पाए जाते हैं। संपत्ति कर, आय कर, बिक्री कर, मृत्यु कर, आदि के नियमों के अनुसार ही व्यक्ति को भुगतान करना होता है।

5. **राजनीतिक जीवन पर नियंत्रण:** कानून व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को भी नियंत्रित करते हैं एवं उसमें राजनीतिक चेतना एवं कर्तव्य बोध की भावना पैदा करते हैं। संविधान द्वारा राज्य के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। साथ ही व्यक्ति से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह राज्य के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करें। प्रजातंत्र में तो राज्य लोगों को कानून द्वारा मत देने, चुनाव लड़ने, प्रचार करने, सरकार गठन करने तथा विपक्षी का विरोध करने का अधिकार देता है जिसका पालन एक निश्चित दायरे में रहते हुए किया जाना चाहिए। तानाशाही शासन में व्यक्ति पर अनेक राजनीतिक अंकुश लगा दिए जाते हैं।

6. **दंड व न्याय द्वारा नियंत्रण:** वैयक्तिक एवं सामूहिक जीवन से संबंधित अनेक कानून पाए जाते हैं जिनका उद्देश्य विवाद के समय मध्यस्थता करना, व्यक्ति को सुरक्षा एवं न्याय प्रदान करना है। अन्याय के कारण समाज में विद्रोह एवं क्रांति होती है। न्याय द्वारा लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है और नियमों की अवहेलना करने वाले को दंडित किया जाता है। दंड के भय से एवं अपराधियों को जेल में समाज से पृथक रखकर कानून नियंत्रण बनाए रखने में योग देता है। कानून की इस भूमिका का उल्लेख करते हुए लैण्डिस लिखते हैं- हमारे समाज में शारीरिक और वित्तीय दोनों ही प्रकार के दंडों के माध्यम से कानून के लिए राजनीतिक आदर प्राप्त करना प्रथा मूलक है। यह कानून और उनके दंड ही हैं जो कि आधुनिक राज्यों की सामाजिक संरचना को कायम रखते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कानून मानव व्यवहार के सभी पक्षों को नियंत्रित करता है। ज्यों-ज्यों सामाजिक जटिलता बढ़ती जा रही है, कानून की नियंत्रणकारी भूमिका भी महत्वपूर्ण होती जा रही है, किंतु जो कानून शासकों द्वारा अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं और जिनमें सार्वजनिक हित शामिल नहीं होता, वे निरंकुश एवं दमनकारी होते हैं। ऐसे कानून क्रांति व विद्रोह को जन्म देते हैं तथा समाज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में असफल सिद्ध होते हैं।

KGS : 5th Floor, A13A, Graphix 1 Tower B, Sector 62, Noida, Uttar Pradesh-201309
Ph. No. : 8757354880